(18)

[illegible] 2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम [illegible] 2. वर्तमान धारित पद [illegible] 3. कार्यालय का नाम [illegible] 4. वर्तमान वेतन 22[illegible] + GP 5. भविष्य निधि क्रमांक [illegible] 6. कर्मचारी संख्या [illegible]

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) ग्रा. [illegible] त. महू जि. इन्दौर	—	25x50 = 1250 sq.ft.	रु. 1046000	स्वयं के नाम	LIC [illegible] से लोन लेकर [illegible] से खरीदी	निरंक	—
(2) ग्रा. [illegible] त. महू, इन्दौर	—	30x50 = 1500 sq.ft.	2400000	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर	31.03.09 LIC HFL से लोन लेकर [illegible] से खरीदी	निरंक	

हस्ताक्षर [illegible]

नाम [illegible]

पद [illegible]

* जहां लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी — मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार